



# HUNDREDPAISA

## उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

### योजना का उद्देश्य

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाती है जिनके पति का निधन हो गया है और जो आर्थिक रूप से कमजोर या निराश्रित हैं।

### पेंशन राशि

- उत्तर प्रदेश में पात्र विधवा महिलाओं को ₹1,000/- प्रति माह पेंशन दी जाती है।
- पेंशन सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

### पात्रता मापदंड (Eligibility)

एक महिला निम्न शर्तों को पूरा करे तो योजना के लिए पात्र मानी जाती है □

- ✓ वह विधवा महिला हो (पति का मरने का प्रमाण हो)
- ✓ उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो
- ✓ आय सरकारी निर्धारित सीमा के भीतर हो
- ✓ अन्य किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो

### 4. आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन के समय आमतौर पर इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

- आधार कार्ड
- पति के निधन का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण (आधार लिंक)
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (Income Certificate)

### पेंशन भुगतान

→ उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, पेंशन आम तौर पर त्रैमासिक या मासिक रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

### याद रखने योग्य बातें

- ✓ यदि आपका नाम सत्यापन में अपात्र पाया जाता है, तो उसे सूची से हटाया जा सकता है।
- ✓ पात्र लाभार्थियों की सूची राज्य सरकार समय-समय पर अपडेट करती है।
- ✓ योजना की राशि और नियमों में समय के साथ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में UP में पेंशन राशि ₹1000/- प्रति माह निर्धारित है।

### सूचना:

हमारी टीम आपसे संपर्क करके दस्तावेज़ ईमेल/WhatsApp से लेगी, फॉर्म भरने और OTP प्रक्रिया में मदद करेगी; प्रक्रिया पूरी होने पर रसीद आपको ईमेल/WhatsApp के माध्यम से भेज दी जाएगी।

हस्ताक्षर (आवेदन कर्ता)